

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव प्रशासन

जिला पंचायत कार्यालय,

शिक्षा अनुभाग, दीव

सं. 2-4-88 / शिक्षा / जिपं / VoL.X / 2021-22 / 313

दिनांक : - 16/09/2021

( निविदा सूचना / TENDER NOTICE )

इस विभाग के शिक्षा संस्थानों में प्रयोग हेतु आपके फर्म से निम्नलिखित सामग्रियों / आइटमों के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु सशर्त मुहरबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है : -

**क्रम सं १**

क्र.सं.	पूर्ण ब्यौरा सहित सामग्रियों / मदों का नाम	आवश्यक मात्रा	दर प्रति नंग /आइटमो
01	वर्ष 2021-22 हेतु कक्षा 3 से 8 तक के लिए प्रथम, एवं द्वितीय परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों की मुद्रण ( ओ. एम. आर. सीट के साथ)	41300	
(क)	02 पुष्ठ 03 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		
(ख)	02 पुष्ठ 04 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		
(ग)	03 पुष्ठ 05 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		
(घ)	03 पुष्ठ 06 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		
02	उत्तर पुस्तिका (दो परीक्षा के लिए)	41300	
03	एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री (बिना मुद्रित वाला उत्तर पुस्तिका) (दो परीक्षा के लिए)	41300	
04	प्राथमिक / मिडिल स्कूल प्रगति पत्रक (कक्षा 1 थी कक्षा 8 तक)	4500	
05	नक्शा (दो परीक्षा के लिए)	5000	
06	ग्राफ पेपर (दो परीक्षा के लिए)	5000	

**क्रम सं २**

क्र.सं.	पूर्ण ब्यौरा सहित सामग्रियों / मदों का नाम	आवश्यक मात्रा	दर प्रति नंग /आइटमो
01	वर्ष 2021-22 हेतु कक्षा 3 से 8 तक के लिए प्रथम, एवं द्वितीय परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों की मुद्रण	41300	
(क)	02 पुष्ठ 04 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		
(ख)	03 पुष्ठ 05 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		
(ग)	03 पुष्ठ 06 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		
(घ)	04 पुष्ठ 07 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		
(च)	04 पुष्ठ 08 साइड तथा ओ. एम. आर. सीट		

01. बिक्रीकर, पैकिंग कर एवं इस कार्यालय तक भेजने के खर्च के साथ अंतिम दरें दी जाएं ।
02. सामग्रियों की प्राप्ति के बाद बिल के पास होते ही बिल की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ।
03. आपूर्ति आदेश प्राप्ति की तारीख से १५ दिनों के भीतर सामग्रियों की आपूर्ति सभी विधालय में स्वयं के खर्च पर कर देनी होगी ।
04. निविदा सूचना सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए और लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में "प्रश्नपत्रों की मुद्रण एवं सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए । निविदा दिनांक 23/09/2021, अपराहन 11:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए यह उची दिन अपराहन 11:30 बजे खोली जाएगी ।
05. बिल को दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा और मूल बिल पर राजस्व टिकट चिपका होना चाहिए ।
06. डीलर GST से पंजीकृत होना चाहिए ।
07. डीलर के पास भावपत्रक आइटमों का कारोबार का अनुभव होना चाहिए ।
08. निविदाकार द्वारा निविदा सूचना पूर्ण रूप से एवं सावधानी पूर्वक भरा होना चाहिए ।

09. संबंधित पार्टी को प्रश्नपत्रों का मुद्रण इस कार्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट मोडल प्रश्नपत्रों के अनुरूप ही निर्धारित समय सीमा के अंदर करना होगा ।
10. यह निविदा सूचना एक साल के लिए है । साल में दो बार सप्लाय आदेश दिया जाएगा ।
11. यदि प्रश्नपत्र और जवाब पत्र वाला फॉर्मेट रहेगा तो उपरोक्त क्रम सं. १ वाला आदेश दिया जाएगा । यदि प्रश्नपत्र में ही उत्तर लिखना होगा तो क्रम सं. २ वाला आदेश दिया जाएगा । यदि किसी कारण परीक्षा रद्द होती है तो कोई सप्लाय आदेश नहीं दिया जाएगा (Regarding Covid – 19 Pandemic) ।
12. सफल निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा दिए गए प्रश्नपत्र का ही मुद्रण करना होगा ।
13. सफल निविदाकार को अंतिम रूप से प्रश्नपत्रों को मुद्रित करने से पूर्व प्रूफ रीडिंग कराना होगा ।
14. निविदाकार को प्रश्नपत्रों हेतु प्रयोग किए जानेवाले कागजपत्रिका एवं उत्तर पुस्तिकाओं का नमूना निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
15. सफल निविदाकार को यह सुनिश्चित कराना होगा की हर हाल में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनी रहे ।
16. सफल निविदाकार को प्रश्नपत्रों की आपूर्ति मुहरबंद लिफाफे में पक कर विधालय अनुसार सभी विधालय में करनी होगी । लिफाफे पर प्रश्न पत्रों की संख्या विधालय, विषय एवं तारिख अनुसार दर्शाना होगा ।
17. निविदाकार द्वारा दिया गया दर सुपाठ्य एवं स्पष्ट रूप से दर्शाया होना चाहिए ।
18. किसी भी निविदा सूचना / भावपत्रक में किसी भी प्रकार का सुधार / लिखे पर लिखा पाये जाने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
19. निविदा सूचना वेब साईट [www.diu.gov.in](http://www.diu.gov.in) पर भी उपलब्ध है ।
20. निविदाकार निविदा सूचना में असंगत दर नहीं देगा और न ही निविदा / भावपत्रक में किसी भी प्रकार का सुधार / लिखे पर लिखा होना चाहिए ।
21. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार है की वे किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द कर सकता है ।

पी -आर- मारू  
(पियूष आर. मारू)  
शिक्षा अधिकारी  
जिला पंचायत दीव.

सेवा में,

-----  
-----  
-----